

2026:AHC:51576

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9424/2026

अशोक कुमार तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: श्याम शंकर मिश्रा

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:

“1. प्रतिवादी प्राधिकारियों, विशेषतः प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी को यह निर्देश देने हेतु परमादेश स्वरूप रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह अपील संख्या C202514000004482 (अशोक कुमार तिवारी बनाम रमाशंकर एवं अन्य) में, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत दायर है, अपीलकर्ता/याची द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण एवं अंतिम निर्णय करें।”

3. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्षकार स्वयं को उक्त आदेश से प्रभावित अनुभव करें, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
4. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घ अवधि से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज दिनांक तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त न्यायिक (प्रथम), वाराणसी मण्डल, वाराणसी को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपर्युक्त अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र का पूर्णतः विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक, और वरीयतः प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, बिना कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए निस्तारण करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.